भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 104
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भावी महामारियों के लिए तैयारियां

***104. श्री रामदास तडस:**

श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में भावी महामारियों के विरुद्ध तैयारी हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) महामारियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देशभर में सूचित बीमारियों के प्रकोप का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

09 फरवरी, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 104 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): महामारियों की रोकथाम और इनसे निपटने की तैयारी साझा वैश्विक उत्तरदायित्व है। देश में भविष्य की महामारियों/जन स्वास्थ्य की आपात स्थितियों से निपटने की बेहतर तैयारी करने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करता है।

रोग निगरानी संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को सुदृढ़ किया है। इस कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य की आपात स्थितियों के विरुद्ध नियंत्रणकारी और रोकथाम के अपेक्षित उपाय करने के लिए प्रशिक्षित बहु-विषयक तीव्र अनुक्रिया दल (आरआरटी) द्वारा अनुक्रिया की एक विकेंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की जाती है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म (आईएचआईपी) के अंतर्गत आईडीएसपी को भी उन्नत डेटा मॉडलिंग और डेटा विश्लेषणात्मक साधनों का प्रयोग करने, रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग में सक्षम और सभी स्तरों पर उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया गया है।

आईडीएसपी के तहत प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण के संबंध में राज्यों ने जिले और राज्य स्तर पर प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया है। इसके अलावा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने रोगाणुओं का समय पर प्रयोगशाला आधारित निदान करने के लिए प्रयोगशालाओं का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए 150 से अधिक विषाणु अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे में स्थित शीर्ष प्रयोगशाला के अलावा, चार क्षेत्रीय एनआईवी जम्मू, जबलपुर, डिब्रुगढ़ और बेंगलुरू में स्थापित किए जा रहे हैं। आईसीएमआर ने प्रकोपों के दौरान, विशेषकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में, अनिवार्य नैदानिक सेवाएं वहीं पर (ऑनसाइट) प्रदान करने के लिए दो मोबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशालाएं तैयार की हैं। इसके अलावा, मानव, जीव-जन्तुओं, पौधों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्षेत्रों के बीच एकीकृत और समग्र अनुसंधान तथा विकास के लिए आईसीएमआर द्वारा नागपुर में राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान (एनआईओएच) स्थापित किया जा रहा है।

जन स्वास्थ्य की आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश को बेहतर तरीके से तैयार रखने के दीर्घावधिक लक्ष्य के साथ, प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) शुरू किया गया है ताकि नए और उभरते रोगों की पहचान करने और इनके प्रबंधन के लिए प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के सुविधा केंद्रों और संस्थानों की क्षमता का संवर्धन किया जा सके।

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महामारी जैसी जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के कारण उत्पन्न किसी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियों के रूप में सहायता प्रदान की गई है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, प्रयोगशाला नेटवर्क के विस्तार, निगरानी, चिकित्सा लॉजिस्टिक्स की खरीद आदि के लिए भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी-I) के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8473.73 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई हैं। भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण-II के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा लॉजिस्टिक्स के प्रावधान के लिए 12,740.22 करोड़ रु. की राशि की सहायता दी गई है। इसके अलावा, राज्यों को पीएसए (प्रेशर स्विंग एडजोर्प्शन) संयंत्र स्थापित करने के लिए भी सहायता दी गई है।

भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के चरण-I और चरण-II के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से जारी केंद्रीय सहायता अनुदानों और, प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधियों (वित्त वर्ष 2021-24) (महाराष्ट्र को प्रदत्त निधियों सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष (17 दिसंबर, 2023 तक) गंभीर अतिसारजनक रोगों, चिकनपॉक्स, हेज़ा आदि सहित कुल 1,802 रोग प्रकोपों की रिपोर्ट मिली है।

अनुलग्नक I

भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के चरण-I और चरण-II के तहत एनएचएम के माध्यम से जारी केंद्रीय सहायता अनुदानों और पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधियों (वित्त वर्ष 2021-24) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा (सभी आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ईसीआरपी-I	ईसीआरपी-II	वित्त वर्ष 2021-24 तक पीएम-एबीएचआईएम के तहत जारी केंद्रीय निधियां*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.87	14.22	1.11
2	आंध्र प्रदेश	441.94	417.91	55.29
3	अरुणाचल प्रदेश	22.47	149.13	9.49
4	असम	222.47	731.22	151.47
5	बिहार	200.73	1032.87	133.03
6	चंडीगढ़	36.54	9.47	9.98
7	छत्तीसगढ	118.61	376.07	44.78
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4.77	4.76	0.24
9	दिल्ली	801.71	30.21	-
10	गोवा	19.36	11.78	3.81
11	गुजरात	311.99	479.22	75.58
12	हरियाणा	194.95	182.42	30.04
13	हिमाचल प्रदेश	56.61	344.79	28.05
14	जम्मू एवं कश्मीर	197.76	407.30	39.12
15	झारखंड	74.22	383.34	330.01
16	कर्नाटक	437.64	504.04	117.98
17	केरल	622.78	173.89	28.64
18	लद्दाख	44.98	62.51	0.31
19	लक्षद्वीप	0.89	1.49	0.63
20	मध्य प्रदेश	293.95	874.35	273.90
21	महाराष्ट्र	1248.08	820.77	21.52
22	मणिपुर	21.09	98.73	22.37
23	मेघालय	15.61	104.12	52.93
24	मिजोरम	10.19	61.25	6.22
25	नगालैंड	10.57	77.60	4.78
26	ओडिशा	156.26	517.18	342.99
27	पुदुचेरी	24.55	5.42	2.39
28	पंजाब	170.94	198.89	24.16
29	राजस्थान	435.32	883.37	285.18
30	सिक्किम	7.46	41.05	2.69
31	तमिलनाडु	893.74	479.59	335.49
32	तेलंगाना	392.74	298.68	104.70
33	त्रिपुरा	24.00	83.72	3.38
34	उत्तर प्रदेश	557.49	1879.88	422.32
35	उत्तराखंड	75.47	394.22	33.87
36	पश्चिम बंगाल	310.98	604.76	40.86

*टिप्पणी:

1. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय निधियां 20.01.2024 तक अद्यतन हैं और यह अनंतिम है।
2. उपर्युक्त निधियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

******